Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: **Cgrfsrinagar@gmail.com**

पत्रांकः–768 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–176 / 2025

श्री सुनील जी, — वादी
ग्रामसभा–सोनी, विकासखण्ड–कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुनील जी, ग्रामसभा–सोनी, विकासखण्ड–कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि 1985 में ग्रामसभा सोनी की विद्युत लाईन को बिछे हुये 40 वर्ष हो चुके हैं, वर्तमान समय में लाईन जर्जर स्थिति में है, कुछ भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उनको सुचारू ढंग से बिछाये जाने की जरूरत है।

01. 6 जगहों पर खम्भे से खम्भे की दूरी 300–350 मीटर तक है। वर्तमान समय में तार बडे–बडे पेडों के बीच में आ चुके हैं, वर्षात के समय पेडो की टहनियों के टूटने के कारण करण्ट फैलता रहता है, यह बहुत ही भीषण समस्या हो चुकी है।

02. सम्पूर्ण गांव के अन्तर्गत लाईन के खम्भों में स्टेवायरों में इन्सुलेटर नहीं होने के कारण करण्ट आ जाता है।

03. बिचली सोनी की ओर जाने वाली लाईन सिंगल फेस से चलाई जा रही है।

30/10/25

इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 670, दिनांक 18.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 684, दिनांक 03.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा पहले अनुस्माकर पत्र का जवाब नहीं दिया गया जिसके पश्चात् उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 703, दिनांक 18.09.2025 के द्वारा दूसरा अनुस्मारक पत्र जारी किया गया। विद्युत वितरण खण्ड द्वारा दोनो अनुस्मारक पत्रो का उत्तर नहीं दिया गया जिसके उपरान्त मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक सं0–741, दिनांक 10.10.2025 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 नियत की गई।

विपक्षी उपखण्ड कार्यालय कीर्तिनगर ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–496, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि ग्राम सोनी मे लम्बे स्पान की समस्या के निस्तारण हेतु पोल लगाने का कार्य प्रस्तावित है। इन्सुलेटर पंचर होने के कारण करण्ट लगने की कोई घटना सोनी गांव से सामने नहीं आई है। एवं ग्राम सोनी में 25 के0वी0ए0 का 3 फेस ट्रांसफार्मर स्थापित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर उपस्थित हुई एवं वादी स्वयं उपस्थित हुये।

30/10/25

30/10/25

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम–सोनी में लंबे स्पान पर अतिरिक्त पोल लगाना एवं अन्य विद्युत सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. सुनील जी, ग्रामसभा–सोनी, विकासखण्ड–कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–769 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 / 2025

वाद संख्या–177/2025

श्री संजय खण्डूरी
धर्मनगर, बागवान
टिहरी गढवाल — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री संजय खण्डूरी, धर्मनगर बागवान, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 22.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि पिछले लगभग 01 वर्ष पूर्व मेरे निवास पर अचानक विद्युत उपकरण ब्लास्ट हुये थे, उनमें मेरी दो एल0ई0डी0, टीवी, इण्डक्शन चूल्हा, दो फ्रिज, मोबाइल चार्जर, बल्ब इत्यादि विस्फोट हो गये थे, जिनका वर्तमान मूल्य लगभग 01 लाख रूपये होगा। जब मेरे विद्युत उपकरण विस्फोट हुये उस दौरान मैंने बागवान में कर्मचारियों से शिकायत की और वहां तैनात कनिष्ठ अभियन्ता को मौके पर आने के लिये निवेदन किया था परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता की जगह मौके पर लाईनमैन आये थे, लाईनमैन के कहने पर मैंने तीन बार अपने घर की फिटिंग को बाहर के इलैक्ट्रिशियनों से चैक करवाया लेकिन मेरी घर की फिटिंग में कोई भी गडबडी नहीं पाई गई। तत्पश्चात् लाईनमैन ने मेरे घर की केबिल चैंज

30/10/25 — 30/10/25

की जो विद्युत पोल से मीटर तक आती है, उसके बाद से आज तक मेरे घर के विद्युत उपकरण ब्लास्ट नहीं हुये लेकिन मेरे घर के बिजली के बिल अधिक आने लग गये जिसके लिए मैने विद्युत विभाग में लगातार शिकायत की, मैंने कई बार विभाग को नये मीटर लगाने हेतु आग्रह भी किया था परन्तु नया मीटर नहीं लगाया गया। मैने विभाग में लगभग 27000.00 रू0 भी जमा करवा दिये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले की जांच कर मुझे मेरे नुकसान की भरपाई की जाये व विद्युत बिल ठीक किया जाये। मेरे घर मे विद्युत उपकरणों का उपयोग सामान्य है, मुझे आशंका है कि मेरे मीटर में कुछ खराबी आ चुकी है, जिससे विद्युत बिल अधिक आ रहे हैं।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 671, दिनांक 22.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 687, दिनांक 08.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा अनुस्माकर पत्र का जवाब नहीं दिया गया जिसके पश्चात् उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 695, दिनांक 12.09.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 23.09.2025 निश्चित् की गई। जिसमें विपक्षी की ओर से कैशियर श्रीमती भारती देवी उपस्थित हुये एवं वादी स्वयं उपस्थित हुये।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3767, दिनांक 23.09.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि श्री संजय खण्डूरी, धर्मनगर, बागवान, टिहरी गढवाल से उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा दूरभाष पर वार्ता करने के उपरान्त चैक मीटर लगाने को कहा गया है। उपभोक्ता के चैक मीटर का रजिस्ट्रेशन (20209250677) कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर शुल्क जमा करने के उपरान्त विभागीय कार्यवाही कर दी जायेगी।

मंच द्वारा पुनः अपने कार्यालय पत्रांक 742, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

30/10/25

30/10/25

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर उपस्थित हुये तथा वादी स्वयं उपस्थित हुये। वादी का मापक दिनांक 22.02.2021 को बदला गया था। मीटर बदलने के उपरान्त वादी को उसके पश्चात् अनियमित रीडिंग (किसी माह बहुत कम विद्युत उपभाग जैसे–54 यूनिट, और किसी माह अधिक उपभोग 4681 यूनिट) के बिल प्राप्त हुये हैं स्पष्ट है कि वादी की रीडिंग सही प्रकार से नहीं की जा रही है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी का मापक बदलने की दिनांक 22.02.2021 से अभी तक के बिल औंसत विद्युत उपभोग के आधार पर संशोधित करें और वादी के यहां चैक मापक स्थापित करायें। वादी द्वारा दिनांक 23.07.2025 को चैक मापक फीस जमा कर दी गई है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री संजय खण्डूरी, धर्मनगर बागवान, टिहरी गढवाल।

30/10/25
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–770उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 /2025

वाद संख्या–178 / 2025

श्री दिगम्बर सिह चौहान
नियर लवकुश होटल
श्रीकोट गंगानाली — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री दिगम्बर सिंह चौहान, नियर लवकुश होटल, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 25.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि जब से परिषर पर स्मार्ट मीटर लगा है, तब से वादी को अधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं जिस कारण वादी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 672, दिनांक 25.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 721, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

30/10/25 30/10/25

मंच के कार्यालय पत्रांक 743, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4003, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के बिलों की ऑनलाईन जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता की दुकान पर मई 2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। स्मार्ट मीटर के आधार पर जो बिल शिकायतकर्ता को निर्गत किये जा रहे हैं वह सही है। यदि शिकायतकर्ता सन्तुष्ट नहीं होता है तो चैक मीटर के लिए आवेदन कर सकता है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता, (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी स्वयं उपस्थित हुये। वादी का मापक दिनांक 19.02.2025 को अन्तिम रीडिंग 40416 पर बदला गया था। इसके पश्चात् वादी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

वादी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये गये हैं। वादी द्वारा यह बताया गया है कि उनके यहां चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री दिगम्बर सिंह चौहान, नियर लवकुश होटल, श्रीकोट गंगानाली ।

30/10/25

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–771 उ0शि0नि0मं0श्री0 /   दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–179 / 2025

श्री धीरज सिंह, पुत्र श्री अमर रौंथाण   वादी
ग्राम–कोट, पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता   विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)   *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री धीरज सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह रौथाण, ग्राम–कोट, पोडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 23502208145 है, जिसका विद्युत मापक खराब होने पर श्री भारत सिंह जे0एम0टी0 द्वारा बदला गया था परन्तु अभी तक विद्युत परीक्षणशाला श्रीनगर द्वारा संयोजन पर स्थापित नये मीटर की सीलिंग ऑनलाईन नहीं चढाई गयी है तथा नये मीटर पर रीडिंग भी आ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर की सीलिंग चढाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 667, दिनांक 29.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 723, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 732, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2323, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 23502208145 के परिसर पर स्थापित पुराना मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 (–790.00) है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी उपस्थित हुये एवं वादी धीरज सिंहं उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी द्वारा वादी का मीटर बदलने की सीलिंग प्रमाण पत्र सिस्टम में न चढने के कारण वादी को आर0डी0एफ0 का बिल निर्गत हुआ जिसको कि विपक्षी द्वारा नये मीटर के रीडिंग के आधार संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।
02. श्री धीरज सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह रौथाण, ग्राम–कोट, पोडी गढवाल।
03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (ग0)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–772 उ0शि0नि0मं0श्री0 /

दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–180 / 2025

वादी

सुमन सिंह नेगी
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

विपक्षी

कोरम

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी सुमन सिंह नेगी, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 23136001625 है, जिसका विद्युत मापक खराब होने पर जे0एम0टी0 द्वारा बदला गया था परन्तु अभी तक विद्युत परीक्षणशाला श्रीनगर द्वारा संयोजन पर स्थापित नये मीटर की सीलिंग ऑनलाईन नहीं चढाई गयी है तथा नये मीटर पर रीडिंग भी आ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर की सीलिंग चढाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 668, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 724, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 733, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2317, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 23136001625 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 18712.00 है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी उपस्थित हुई एवं वादी सुमन सिह नेगीं उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 01.03.2025 को बदला गया था, सीलिंग फीड न होने के कारण वादी को आर0डी0एफ0 के बिल निर्गत हुये। वादी को पहली बार आई0डी0एफ0 का बिल माह 10/2024 में निर्गत हुआ था, विपक्षी द्वारा वादी के बिल नये मापक लगाने की तिथि से रीडिंग के आधार पर संशोधन कर दिये गये हैं, जो कि ठीक हैं।

आदेश

वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।

02. सुमन सिंह नेगी, पौडी गढवाल।

03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (ग0)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–773 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

<u>*वाद संख्या–181/2025*</u>

राशिद खान
लोअर बाजार
पौडी गढवाल। वादी

<u>*बनाम*</u>

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी राशिद खान, लोअर बाजार, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 23136000425 है, जिसका विद्युत मापक खराब होने पर जे0एम0टी0 द्वारा बदला गया था परन्तु अभी तक विद्युत परीक्षणशाला श्रीनगर द्वारा संयोजन पर स्थापित नये मीटर की सीलिंग ऑनलाईन नहीं चढाई गयी है तथा नये मीटर पर रीडिंग भी आ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर की सीलिंग चढाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 669, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 725, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 734, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2320, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 23136000425 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 6712.00 है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी उपस्थित हुये एवं वादी राशिद खान उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 22.04.2025 को बदला गया था। मीटर सीलिंग फीड न होने के कारण वादी को आर0डी0एफ0 के बिल प्राप्त हुये, विपक्षी द्वारा मीटर फीड करने के उपरान्त वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है, जो कि ठीक है।

आदेश

वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं, अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।

02. राशिद खान, लोअर बाजार, पौडी गढवाल।

03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (ग0)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–774 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–182/2025

शशी सिंह
ग्राम–फल्दवाडी, पो0–घोडीखाल
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी शशी सिंह, **ग्राम–फल्दवाडी, पो0–घोडीखाल**, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 14317115158 है, जिसका विद्युत मापक खराब होने पर विभाग द्वारा बदला गया था परन्तु अभी तक विद्युत परीक्षणशाला श्रीनगर द्वारा संयोजन पर स्थापित नये मीटर की सीलिंग ऑनलाईन नहीं चढाई गयी है, अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर की सीलिंग चढाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 670, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 726, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 735, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2323, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 14317215158 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 5890.00 है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुये, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी एवं सहायक अभियन्ता मापक, श्रीनगर उपस्थित हुये तथा वादी शशी सिंह उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 01.04.2025 को बदला गया था, मीटर सीलिंग फीड न होने के कारण वादी को आर0डी0एफ0 के बिल प्राप्त हुये, विपक्षी द्वारा मीटर फीड कर वादी के बिल संशोधित कर दिये गये हैं, जो कि ठीक हैं।

आदेश

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, परीक्षण खण्ड को आदेशित किया जाता है कि जिस माह उपभोक्ताओं के खराब मापक बदले जाते हैं उसी माह में नये मापक सिस्टम में चढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।

02. शशी सिंह, ग्राम–फल्दवाडी, पो0–घोडीखाल, पौडी गढवाल।

03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (ग0)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–775 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–183/2025

सुश्री मंजू लिंगवाल
किंगकालेश्वर मोहल्ला
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी सुश्री मंजू लिंगवाल, किंगकालेश्वर मोहल्ला, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 23122003391 है, जिसका विद्युत मापक खराब होने पर जे0एम0टी0 द्वारा बदला गया था परन्तु अभी तक विद्युत परीक्षणशाला श्रीनगर द्वारा संयोजन पर स्थापित नये मीटर की सीलिंग ऑनलाईन नहीं चढाई गयी है तथा नये मीटर पर रीडिंग भी आ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर की सीलिंग चढाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 671, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 727, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 736, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0—2319, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0— पी0जी0 23122003391 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 (—901.00) है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी एवं सहायक अभियन्ता मापक, श्रीनगर उपस्थित हुये तथा वादी सुश्री मंजू लिंगवाल उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 05.05.2025 को बदला गया था। मीटर को सिस्टम में फीड न किये जाने के कारण वादी को आर0डी0एफ0 के बिल निर्गत हुये, विपक्षी द्वारा नये मीटर को फीड कर वादी के बिल संशोधित कर दिये गये है।

आदेश

वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं। विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, परीक्षण खण्ड को आदेशित किया जाता है कि जिस माह उपभोक्ताओं के खराब मापक बदले जाते हैं उसी माह में नये मापक सिस्टम में चढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।

02. सुश्री मंजू लिंगवाल, किंगकालेश्वर मोहल्ला, पौडी गढवाल।

03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (ग0).

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:–776 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–184 / 2025

श्री आनन्द सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह
ग्राम–खण्डगांव **वादी**
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड **विपक्षी**
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री आनन्द सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह, ग्राम–खण्डगांव, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 24332208494 है, जिसका विद्युत मापक खराब होने पर माह 09/2021 को जे0एम0टी0 द्वारा बदला गया था परन्तु मेरी अनभिज्ञता के कारण बिल संशोधन नहीं हो पाया तथा वर्तमान में बिल संशोधन हेतु मीटर सीलिंग को पुनः पोस्ट करवाना पड रहा। अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर की सीलिंग दोबारा पोस्ट करवाने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 672, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 728, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 737, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2316, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 24332208494 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 4532.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी एवं सहायक अभियन्ता मापक, श्रीनगर उपस्थित हुये तथा वादी श्री आनन्द सिंह उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी द्वारा वादी का पुराना खराब मापक बदला गया परन्तु उसको सिस्टम मे फिड नहीं किया गया जिस कारण वादी को आर0डी0एफ0 के बिल निर्गत हुये, विपक्षी द्वारा वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं। विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, परीक्षण खण्ड को आदेशित किया जाता है कि जिस माह उपभोक्ताओं के खराब मापक बदले जाते हैं उसी माह में नये मापक सिस्टम में चढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25 — अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25 — रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।
02. श्री आनन्द सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह, ग्राम–खण्डगांव, पौडी गढवाल।
03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

पत्रांकः–778उ०शि०नि०मं०श्री० / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–185/2025

सुश्री प्रेमा देवी, पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह वादी
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी सुश्री प्रेमा देवी, पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 23118004559 है, माह अक्टूबर 2024 से मीटर बन्द था जो कि इसी माह बदल दिया गया है। माह अक्टूबर 2024 से आजतक बन्द मीटर का बिल वादी जमा करती आ रही है, जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। एवं वादी का नया मीटर ऑनलाईन नहीं चढाया गया है। अतः वादी द्वारा अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त बिल की धनराशि जो कि उनके द्वारा जमा कराया गया है उस धनराशि को वापस करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 673, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 729, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 738, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2321, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 23118004559 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 4532.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी एवं सहायक अभियन्ता मापक, श्रीनगर उपस्थित हुये तथा वादी सुश्री प्रेमा देवी उपस्थित नहीं हुये। वादी का खराब मापक दिनांक 04.09.2025 को बदला गया था। वादी को माह 06/2024 से एन0आर0 के बिल प्राप्त हो रहे थे, विपक्षी द्वारा वादी का खराब मापक बदलने के पश्चात् नियमानुसार बिल संशोधित कर दिये गये हैं।

आदेश

वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं। विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, परीक्षण खण्ड को आदेशित किया जाता है कि जिस माह उपभोक्ताओं के खराब मापक बदले जाते हैं उसी माह में नये मापक सिस्टम में चढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25 — अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25 — रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।

02. सुश्री प्रेमा देवी, पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, पौडी गढवाल।

03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (गढ़०)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–779 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–186 / 2025

श्री मोहन लाल रतूडी
ग्राम–नार्र, पो0– साकरसैंण
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री मोलन लाल रतूडी, ग्राम– नार्र, पो0–साकरसैंण, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0– पी0जी0 4324019785 मीटर सं0– 876268 खपत से अधिक चल रहा था। माह मार्च में मैने आपसे निवेदन कर चैक मीटर लगाया था, दिनांक 20.03.2025 को मेरे घर पर चैक मीटर (GU196549) लगाया और दिनांक 06.05. 2025 को मेरे भवन पर पुराना मीटर (876268) निकाल दिया और नया मीटर (GU196549) भवन पर लगा दिया गया है। महोदय जब मैने बिल के सम्बन्ध में उपखण्ड कार्यालय से सम्पर्क किया गया तो पता लगा कि मेरे संयोजन सं0 में दिनांक 14.04.2025 को एक और मीटर दर्शाया गया है जिसका नं0– SS14911235 है और इस मीटर की कीमत 944 भी मेरे बिल में जोड दिये गये हैं जो मीटर मेरे घर पर कभी लगा ही नहीं है।

इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 674, दिनांक 29.08.225 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 730, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 739, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2318, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं0– पी0जी0 24324019785 के परिसर पर स्थापित पुराना खराब मापक बदलकर विद्युत परीक्षण खण्ड श्रीनगर द्वारा नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा नये मापक के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है। (संलग्न संशोधित बिल)। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 16421.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पौडी एवं सहायक अभियन्ता मापक, श्रीनगर उपस्थित हुये तथा वादी श्री मोहन लाल रतूडी उपस्थित नहीं हुये। वादी को माह 06/2024 में 6073 फाइनल रीडिंग तक का बिल प्राप्त हुआ, माह 10/2024 में वादी के मीटर की फाइनल रीडिंग 16347 फीड कर दी गई। माह 12/2024 में वादी की प्रारम्भिक रीडिंग 9361 दर्शाई गई। माह 02/2025, 04/2025 में वादी को आर0डी0एफ0 के बिल प्राप्त हुये। वादी के यहां (पुराना मापक संख्या–876268) दिनांक 20.03.2025 को चैक मीटर सं0–जी0यू0 196549 स्थापित किया गया। उपरोक्त मापक दिनांक 06.05.2025 को फाइनल किया गया, इस अवधि में नये मापक के अनुसार वादी के यहां मात्र 40 यूनिट का उपभोग हुआ है जबकि

पुराने मापक में फाइनल रीडिंग 17178 दर्शाई गई है जबकि पुराना मापक 9361 यूनिट से आर0डी0एफ0 चल रहा था। उपभोक्ता के बिल विवरण के अनुसार 14.04.2025 को मापक सं0–876268 पर नया चैक मापक **एस0एस0 14911235** लगाना दर्शाया गया है। और पुराना मापक जला हुआ दर्शाया गया है जिसको कि दिनांक 06.05.2025 को फाइनल किया गया है और नया मीटर सं0–जी0यू0 196549 दर्शाई गई है, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बहुत लापरवाह तरीके से मीटर फीड किये गये हैं जबकि सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार वादी के यहां मापक स0–876268 लगा हुआ था, जिस पर कि दिनांक 20.03.2025 को चैक मापक सं0– जी0यू0 196549 लगाया गया और उसको दिनांक 06.05.2025 तक फाइनल किया गया इस अवधि में वादी का विद्युत उपभोग 40 यूनिट का था।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के माह 06/2024 के पश्चात् से अप्रैल 2025 तक के बिल चैक मीटर के उपभोग के आधार पर संशोधित करें व आख्या 15 दिन के भीतर मंच को उपलब्ध करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल।

02. श्री मोलन लाल रतूडी, ग्राम– नार्र, पो0–साकरसैंण, पौडी गढवाल।

03. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, श्रीनगर (गढ़)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

पत्रांकः–780 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 / 2025

वाद संख्या–187 / 2025

श्री भरत लाल, पुत्र श्री फगणु लाल
नियर लवकुश होटल, श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री भरत लाल पुत्र श्री फगणु लाल, नियर लवकुश होटल, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि जब से मेरे घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है तब से मेरा बिल खपत से बहुत अधिक आ रहा है, जिस कारण मैं इतने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हूं तथा इन बढे हुये विद्युत बिलों से परेशान हूं, अतः आपसे निवेदन है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से आज तक के बिलों की जांच करें एवं साथ ही मेरा विद्युत बिल ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

30/10/25 30/10/25

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 676, दिनांक 01.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 704, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4001, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा माह जनवरी 2025 के पश्चात् कोई भी बिल की धनराशि विभाग में जमा नहीं कराई गई थी, जो कि जुलाई 2025 तक बढकर रू0–16137.00 हो गई थी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 22.07.2025 को रू0– 10000.00 जमा कराये गये थे। बकाया होने के कारण शिकायतकर्ता के बिलों में बढोत्तरी हुई है। शिकायतकर्ता को तब से लेकर आज तक जो भी बिल दिये गये है वह रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये है, जो कि सही है। यदि शिकातयकर्ता सन्तुष्ट नहीं होता है तो चैक मीटर के लिए आवेदन कर सकता है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 744, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता, (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री भरत लाल उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक दिनांक 21.02.2025 को अन्तिम रीडिंग 6407 पर बदला गया था जबकि जनवरी तक अन्तिम रीडिंग 5424 का बिल निर्गत किया गया था। मीटर बदलते समय 983 यूनिट का अतिरिक्त बिल Issue किया गया है। वादी को रीडिंग के आधार पर ही नियमानुसार बिल निर्गत किये गये हैं।

30/10/25

30/10/25

आदेश

वादी को नियमानुसार बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री भरत लाल पुत्र श्री फगणु लाल, नियर लवकुश होटल, श्रीनगर गढवाल

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:–781 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 /2025

वाद संख्या–193 / 2025

श्री विनोद सिंह भण्डारी, पुत्र श्री भवानी सिंह भण्डारी — वादी
पराग डेयरी, उफल्डा
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री विनोद सिंह भण्डारी, पुत्र श्री भवानी सिंह भण्डारी, पराग डेयरी, उफल्डा, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 04.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि भवन पर अप्रैल माह में सोलर मीटर लगाया गया था जिसका पहला बिल जून माह में 479 रू0 का मिला, जिसको कि वादी द्वारा जमा भी करवा दिया गया था परन्तु माह अगस्त में विभाग द्वारा 25919 रू0 का बिल दिया गया जो कि बहुत अधिक है एवं वादी द्वारा इतना बिल भरने मे असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 685, दिनांक 04.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 710, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

30/10/25 30/10/25

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0—4074, दिनांक 25.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग दर्शाने के कारण बिल अधिक बना था जिसे संशोधित कर दिया गया है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 752, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री विनोद सिंह भण्डारी उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 27.05.2025 को अन्तिम रीडिंग 7175 पर बदला गया था। विपक्षी द्वारा माह अगस्त मे गलत रीडिंग फीड करने के कारण रू0 25919.00 का बिल निर्गत हो गया था जिसको कि माह अक्टूबर में संशोधित कर दिया गया है। दिनांक 08.10.2025 तक वादी पर बकाया शून्य है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल

02. श्री विनोद सिंह भण्डारी, पुत्र श्री भवानी सिंह भण्डारी, पराग डेयरी, उफल्डा, श्रीनगर गढवाल।

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–782 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 /2025

वाद संख्या–194/2025

पवन कुमार, पुत्र श्री प्रेम लाल
ग्राम–स्वाणुधार, पो0–देहलचौरी
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री पवन कुमार, पुत्र श्री प्रेम लाल, ग्राम–स्वाणुधार, पो0–देहलचौरी, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक़ 06.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि वादी लगभग 02 वर्ष से अपने परिवार के साथ हरिद्वार मे रह रहा है। पहले वादी के बिल नियत सीमा के भीतर आते थे परन्तु माह जून 2025 में 5092 रू0 का बिल आया है जबकि वादी का कमरा बन्द रहता है। तो यह बिल इतना अधिक कैंसे आया, वादी द्वारा इतना बिल भरने मे असमर्थता व्यक्त की जा रही है। एवं बिल ठीक करने हेतु कहा जा रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 686, दिनांक 06.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 722, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

30/10/25 30/10/25

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4000, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को जो बिल दिये गये है वह रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये है। यदि शिकायतकर्ता सन्तुष्ट नहीं होता है तो चैक मीटर के लिए आवेदन कर सकता है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 751, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री पवन कुमार उपस्थित नहीं हुये। माह 12/2023 तक वादी को लगभग 150–200 यूनिट उपभोग के बिल प्राप्त हो रहे थे। माह 02/.2024 से 02/2025 तक वादी को बहुत कम उपभोग (3–45 यूनिट) तक प्राप्त हुये। माह 06/2025 में वादी को 850 यूनिट विद्युत उपभोग का बिल निर्गत किया गया। स्पष्ट है कि वादी की रीडिग सही प्रकार से नहीं की गई है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माह 02/2024 से मीटर बदलने की तिथि 20.08.2025 तक के बिल औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं आख्या अधिकतम 01 माह तक मंच को उपलब्ध करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर 30/10/25
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री पवन कुमार, पुत्र श्री प्रेम लाल, ग्राम–स्वाणुधार, पो0–देहलचौरी, पौडी गढवाल।

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–783 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–196 / 2025

श्री पिन्टूदास जी, पुत्र श्री सोहल लाल
टाईप–I/A आवासीय कालोनी, कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी **श्री पिन्टूदास जी, पुत्र श्री सोहल लाल, टाईप–I/A आवासीय कालोनी, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल** का शिकायती पत्र दिनांक 12.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि खाता सं0–41700088209 पर मीटर रीडिग अधिक आने के कारण मीटर 02 बार बदला गया था जिसके पश्चात् वादी के मासिक बिल लगभग 1600₹00 रू0 के करीब आते थे। वर्तमान में वादी को 03 माह का बिल लगभग 5000.00 रू0 आया हुआ है, जो कि उनको अत्यधिक प्रतीत होता है। वादी को सिंगल रूम आबंटित हुआ है एवं उनके द्वारा सामान्य तौर पर विद्युत उपभोग किया जाता है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

30/10/2025

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 689, दिनांक 12.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 719, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 753, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–493, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता का पुराने मीटर पर आखरी बिल 27.06.2025 को 1720 KWH पर बना था। जिसके पश्चात् 18.07.2025 को उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर लगा दिया गया था। जिसमें 18.07.2025 को पुराने मीटर की रीडिंग 2374 KWH पाई गई तथा इसके पश्चात् स्मार्ट मीटर का पहला बिल 08.09.2025 को 146.6 पर निर्गत किया गया। इस पर अधिक बिल आने के कारण पुराने मीटर पर रूकी हुई 659 KWH अतिरिक्त रीडिंग पाई गई जिस कारण बिल की धनराशि रू00 4933 रही। इसके पश्चात् स्मार्ट मीटर का दूसरा बिल 11.10.2025 को 232 पर निर्गत किया गया जिसकी भुगतान राशि रू0 557 थी। अतः महोदय स्मार्ट मीटर पर सही यूनिट के बिल निर्गत किये जा रहा है। उपभोक्ता का एक बिल अधिक धनराशि होने का कारण पुराने मीटर की 654 रूकी रीडिंग है। इस पर कार्यवाही करते हुये उपभोक्ता का बिल उचित स्लैब के हिसाब से संशोधित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर उपस्थित हुये एवं वादी श्री पिन्टूदास उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 18.07.2025 को अन्तिम रीडिंग 2374 पर बदला गया है। पुराने मापक की बची हुई रीडिंग जुडने के कारण वादी को मीटर बदलने

30/10/25

30/10/25

के उपरान्त 801 यूनिट का बिल निर्गत किया गया है। जबकि वादी को माह 12/2024 से 04/2025 तक बहुत कम उपभोग के बिल प्राप्त हुये हैं।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के 12/2024 से 04/2025 तक के बिलों में पुराने मीटर का बची हुई 654 यूनिट समायोजित करते हुये पुनः बिली निर्गत करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री पिन्टूदास जी, पुत्र श्री सोहल लाल, टाईप–I/A आवासीय कालोनी, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–784 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–197 / 2025

प्रवीण राणा, वादी
न्यू डांग,
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी प्रवीण राणा, न्यूं डांग, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके भवन के समीप एक विद्युत पोल कुछ हद तक रोड के बीच में स्थित है, जिससे लोगों को आने–जाने में एवं वाहन के माध्यम से सामान ढोने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत पोल को अन्यत्र किसी स्थान पर स्थानान्तरित करने की कृपा करें, एवं स्थानान्तरित करने पर कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 696, दिनांक 16.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 718, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

30/10/25 30/10/25

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4002, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि वार्ड नं0–36 में अव्यवस्थित तरीके से नालियों तथा मुख्य मार्गों पर लगे बिजली के खम्बों तथा झूलते तारों को हटाने हेतु विभिन्न स्थानीय निवासियों के विरोध को देखते हुये तथा विद्युत पोल को स्थानान्तरित कराये जाने हेतु जगह उपलब्ध न होने की दशा में विद्युत पोल को विभागीय दृष्टिकोंण से हटाया जाना सम्भव नहीं है।

मंच के कार्यालय पत्रांक 754, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी स्वयं उपस्थित हुये। वादी ने अवगत कराया कि वह पोल हटाने हेतु स्थान एवं इस कार्य हेतु आवश्यक धनराशि भी जमा कराने के लिए तैयार है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सडक के मध्य आये हुये पोल का पुनः सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।
02. प्रवीण राणा, न्यूं डांग, श्रीनगर गढवाल।

30/10/25
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–705 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–198 / 2025

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड
मलेथा
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, मलेथा, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि We have permanent electric connection having account No- 40109934633, 24KW connected load in the name of lndus Towers limited at location- SANDRE under SRINAGAR Divison.

Issued bill for the month of July-25 in which abnormal maximam demand for 45KW shown & wrogly excess demand charge levied for the Unjustified amount Rs- 4,620/-

Our connected load was never exceed beyond the connected load. We have multiple times approach to division for correction of wrongly excess demand charge but neither bill is corrected, not MRI report is Providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharge are also claiming.

30/10/25 30/10

Therefore, we request you kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as on account of mentaly harassed to us. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 697, दिनांक 16.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 717, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 755, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4107, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत बीजक में आवश्यक संशोधित कर दिये गये है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। वादी के बिल में गलत डिमाण्ड डालने के कारण वादी को अधिक डिमाण्ड चार्ज लगा दिया गया था। जिसको कि विपक्षी द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

वादी के बिल से अधिक डिमाण्ड चार्ज रू0 4620.00 हटा लिये गये हैं। वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

30/10/25

30/10/25

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, मलेथा, श्रीनगर गढवाल।

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

पत्रांकः–786 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10/2025

वाद संख्या–199/2025

श्री मधुसूदन घिल्डियाल, पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री मधुसूदन घिल्डियाल, पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे कनेक्शन सं0–एस0एन062201163111 पर हाल ही में नया मीटर स्थापित किया गया था। प्रारम्भ में मीटर बदलने हेतु जब विभागीय कर्मचारी आये थे तो मैंने दो बार मना किया परन्तु तीसरी बार जब कर्मचारी आये तो उन्होने अवगत कराया कि यह अनिवार्य है और सभी उपभोक्ताओं को नया मीटर लगाना ही पडेगा साथ ही विभागीय कर्मचारियों द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि नया मीटर लगने के बाद मेरा बिजली का बिल पहले की तुलना में कम आयेगा किन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मीटर बदलने के बाद बिल में अनावश्यक वृद्धि हो रही है, जो मेरे लिए आर्थिक रूप से कठिनाई का कारण बन रही है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे नये लगाये मीटर की जांच की जाये, यदि मीटर में कोई तकनीकी खराबी या गलत रीडिंग पाई जाती

30/10/25 30/10/25

है तो उसका प्रतिस्थापन किया जाये। एवं पिछले महीनों के अधिक आये हुये बिलो की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाये। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 698, दिनांक 16.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3822, दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्मार्ट मीटर लगने से पूर्व खपत का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2024 में माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एवं अगस्त में क्रमशः 244 यूनिट, 220 यूनिट, 262 यूनिट, 185 यूनिट, एवं 173 यूनिट उपभोग मापक द्वारा दर्शाई गई है। जबकि स्मार्ट मापक स्थापित होने के बाद माह 06/2025, 07/2025, 08/2025 में क्रमशः 71 यूनिट, 166 यूनिट, एवं 159 यूनिट खपत मापक द्वारा दर्शाई गई है। इससे स्पष्ट है कि स्मार्ट मापक द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल निर्गत किये जो रहे हैं।

मंच के कार्यालय पत्रांक 756, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री मधुसूदन घिल्डियाल उपस्थित हुये। वादी का मापक दिनांक 23.05.2025 को बदला गया था। मीटर बदलने के उपरान्त एवं पहले वादी का विद्युत उपभोग लगभग समान है।

30/10/25

30/10/25

आदेश

वादी को वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं, यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उसका उपभोग अधिक है तो वह विपक्षी के कार्यालय से सम्पर्क कर चैक मीटर लगाने हेतु आवश्यक धनराशि जमा करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर 30/10/25
सदस्य (उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल 30/10/25
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री मधुसूदन घिल्डियाल, पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द, श्रीकोट गंगानाली ।

30/10/25
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–787 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 / 2025

वाद संख्या–200 / 2025

श्री महादेव प्रसाद घिल्डियाल, पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री महादेव प्रसाद घिल्डियाल, पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे कनेक्शन सं0–एस0एन062201170894 पर हाल ही में नया मीटर स्थापित किया गया था। प्रारम्भ में मीटर बदलने हेतु जब विभागीय कर्मचारी आये थे तो मैंने दो बार मना किया परन्तु तीसरी बार जब कर्मचारी आये तो उन्होने अवगत कराया कि यह अनिवार्य है और सभी उपभोक्ताओं को नया मीटर लगाना ही पडेगा साथ ही विभागीय कर्मचारियों द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि नया मीटर लगने के बाद मेरा बिजली का बिल पहले की तुलना में कम आयेगा किन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। पिछले 06 महीनों (दिसम्बर से मई) के बिलो को देखने पर यह स्पष्ट है कि मेरा औंसत बिल 1109.00 रू0 रहा है, जिसमें सबसे कम बिल 875.00 रू0 और सबसे अधिक बिल 1524.00रू0 का रहा है। मीटर बदलने के बाद बिल मे अनावश्यक

30/10/25 30/10/25

वृद्धि हो रही है जो मेरे लिए आर्थिक रूप से कठिनाई का कारण बन रही है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे नये लगाये मीटर की जांच की जाये, यदि मीटर में कोई तकनीकी खराबी या गलत रीडिंग पाई जाती है तो उसका प्रतिस्थापन किया जाये। एवं पिछले महीनों के अधिक आये हुये बिलो की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाये। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 699, दिनांक 16.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 716, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–3867, दिनांक 04.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लगाये गये स्मार्ट मीटर की खपत से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की प्रतिदिन खपत लगभग 07 यूनिट (23.07.2025 से 05.09.2025 उपभोग यूनिट 293) प्रतिदिन है, जबकि पूर्व में स्थापित मापक की माह जुलाई 2024 एवं अगस्त 2024 की औसत खपत (203, 217) लगभग 07 यूनिट प्रतिदिन है अतः स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

मंच के कार्यालय पत्रांक 757, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री महादेव प्रसाद धिल्डियाल उपस्थित हुये। वादी का मापक दिनांक 23.07.2025 को बदला गया था। वादी का वाणिज्यिक संयोजन है, वादी का विद्युत उपभोग मीटर बदलने के पूर्व जैसा ही है।

30/10/25

30/10/25

आदेश

वादी को वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं, यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उसका उपभोग अधिक है तो वह विपक्षी के कार्यालय से सम्पर्क कर चैक मीटर लगाने हेतु आवश्यक धनराशि जमा करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री महादेव प्रसाद घिल्डियाल, पुत्र स्व0 श्री सुरेशानन्द, श्रीकोट गंगानाली।

30/10/25

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–788 उ0शि0नि0मं0श्री0 /   दिनांक 30/10 /2025

वाद संख्या–201/2025

श्री गम्मा सिंह जी   वादी
111/3 मढी कालोनी चौरास, पो0– किलकिलेश्वर
टिहरी गढवाल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड   विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)   *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री गम्मा सिंह, 111/3 मढी कालोनी, चौरास, पो0–किलकिलेश्वर, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि आवासीय कालोनी 111/3 मढी चौरास में उपखण्ड कीर्तिनगर द्वारा रात्री 8 बजे बिना बताये पुराना विद्युत मापक निकालकर माह जून 2025 को नया स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, स्मार्ट मीटर शायद जम्प कर रहा है जो प्रतिमाह 15000–20000रू0 तक बिल आ रहा है, वादी द्वारा इतना बिल भरने में जमा करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

30/10/25

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 700, दिनांक 16.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 715, दिनांक 04.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 758, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी उपखण्ड कीर्तिनगर ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–494, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के पुराने मीटर पर रीडिंग रूके होने के कारण स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात् अधिक बिल धनराशि का बिल निर्गत हुआ। इस पर कार्यवाही करते हुये उपभोक्ता का बिल उचित स्लैब के हिसाब से संशोधित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही अदिती इन्टरप्राईसेस को मीटर रीडिंग की प्रक्रिया को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर उपस्थित हुये एवं वादी श्री गम्मा सिंह उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक दिनांक 20.05.2025 को बदला गया था, इससे पूर्व 01.04.2021 में भी वादी का मापक बदला गया था। दिनांक 20.05.2025 को वादी का मापक बदलते समय वादी के पुराने मीटर की अन्तिम रीडिंग 5144 थी, जबकि वादी को अन्तिम रीडिंग 2178 तक के बिल ही निर्गत किये गये थे अर्थात् पुराने मापक में 2966 यूनिट रूकी हुई थी जिसका कि वादी को बिल निर्गत किया गया है। अप्रैल 2021 से मई 2025 के मध्य वादी को अनियमित विद्युत उपभोग (किसी माह कम किसी माह अधिक) के बिल निर्गत किये गये हैं।

30/10/25

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माह 01.04.2021 से 20.05.2025 तक के समस्त बिलों को औंसत उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को उपलब्ध करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री गम्मा सिंह, 111/3 मढी कालोनी, चौरास, पो0–किलकिलेश्वर, टिहरी गढवाल।

30/10/25

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–709उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30/10 / 2025

वाद संख्या–203 / 2025

श्री प्रवीण थपलियाल
संगम विहार, मंगसू, चौरास
टिहरी गढवाल
वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।
विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री प्रवीण थपलियाल, संगम विहार, मंगसू चौरास, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 30.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि –

1. That the undersigned is Consumer of UPCL and is a Senior Citizen and pensioner.

2. That on 19.03.2025 the meter reader came for meter reading and did not issue the bill saying that the units consumed are very high. He asked me to talk to a person on his mobile wherein "UPCL Sir" was written. He said are you at home I will see you in the evening. Two UPCL personnel came and suggested to resolve the issue by out of box method in which they will raise a bill for 50% of unit consumed. The amount of the remaining units will be pocketed by these personnel. The meter will be replaced and you will be tension free as you are aware of the government functioning. I did not agree to their illegal suggestion though it was a WIN WIN for the consumer and UPCL 'personnel'.

30/10/25 30/10

3. That I lodged the grievance with CM Helpline 1905 and Electricity Complaint1902. The Electricity complaint to get a check meter installed. They sent me a link for online payment of Rs150 for the installation of Check meter. The Check meter was installed on 29.03.2025. The results showed minor variations but the personnel changed and replaced the original meter. The authorities ignored the minor variations in the Check meter which does not sound reasonable as the UPCL is one of the zero error agency of the government.

4. That the history of my electricity Bills for the past four years is as per the table below:

Month/year	Date of payment	Amount	Remarks
09/2021	16.09.2021	21596	Overbilled. Request of check meter 50 rupees paid but check meter not installed by UPCL.
01/2022	29.01.2022	9444	SMS/online Payment
07/2022	16.07.2022	1564	
02/2023	16.02.2023	6794	……..do………..
03/2023	18.03.2023	713	
02/2024	03.02.2024	3324	………do………
08/2024	17.08.2024	1349	………do……….
11/2024	30.03.2024	1603	………do……….
03/2025		59622	Issued on 26.03.2025 check meter
07/2025	13.07.2025	26028	Installed on 29.03.2025
			A total of Rs. 87418 has been raised.

(The data is as per my accounts subject to correction)

The overbilling in the year2021 was abandoned because of the remote distance of Offices of SDO and EE and my age was hindering my efforts. The Consumer had to make three trips to Kirtinagar/Srinagar deposit the Check Meter Fee of RS 50 which was very cumbersome.

The Table reveals the erratic pattern of the issuance of Bills and is against the regular practice of issuance of bills bi monthly as per the UPCL instructions. The bills have been issued at the whims and fancy of the UPCL.

5. That the CM helpline called me thrice as feedback that whether UPCL has resolved the grievance. I negated the view of UPCL which said that the premises was locked and the consumer never applied for the check meter.

6. That the SDO Kirtinagar and EE, Srinagar also had a conversation with the undersigned and finally they corrected the overbilling due to surcharge. The bill was reduced from Rs 87418 to Rs 64794.A relief of Rs 22,624 was worked out for which I

am highly obliges, greatfui and thankful. The SDO Klrtinagar has been helpful in getting the smart meter installed..

The point I am raising from the above are as follows

A) The UPCL is responsible for the meter reading and issuance of bills to the consumers. The UPCL has blatantly violated the SOP of UPCL where bimonthly bills are to be issued. The whole responsibility of footing this erratic bill has been loaded on the consumer why cannot recovery made from the erring UPCL authorities.

B) The consumer who was the whistle blower has been put under mental harassment and agony for no mistake on his part. The senior citizens are easy prey to such nefarious acts of the ground level workers and putting the UPCL under immense losses. The report submitted by the Government in the Vidhan Sabha during the monsoon session speaks of the reality. (Amar Ujala dated August 23,2025 P10). The news report on the losses sustained by the UPCL in the industrial towns of UK runs in crores. Why for this genuine cause the consumer is being penalized.

RELIEF SOUGHT.

1. The payment of the pending bill may be put on HOLD till the matter is resolved.

2. The Consumer may be charged for the average of the check meter reading which comes to 7-8 units per day as per the check meter reports

इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 713, दिनांक 30.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 760, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4108, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता का प्रांगण बन्द रहने के कारण रीडिंग एकत्रित होती रही एवं प्रांगण खुलने पर उपभोक्ता द्वारा पूरी रीडिंग का बिल बनाने हेतु कहा गया जिसके पश्चात् मीटर रीडर द्वारा एकत्रित समस्त रीडिंग का बीजक बना दिया गया। उपभोक्ता का बीजक उनकी औंसत खपत के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

30/10/25

30/10

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कीर्तिनगर उपस्थित हुये एवं वादी श्री प्रवीण थपलियाल उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक दिनांक 08.04.2025 को बदला गया था। माह 05/2022 के पश्चात् वादी का परिसर बन्द रहने के कारण वादी को अनियमित रीडिंग, मासिक उपभोग 20 यूनिट से 8416 तक के बिल प्राप्त हुये, जिसको कि विपक्षी द्वारा दिनांक 18.05.2022 से 08.04.2025 तक बिल औसत महावार विद्युत उपभोग/उचित स्लैब के अनुसार संशोधित कर दिये गये हैं। विपक्षी द्वारा वादी की गलत मीटर रीडिंग/रीडिंग न लेने के लिए सम्बन्धित कार्मिक को कार्य से हटा दिया गया है।

आदेश

वादी के बिल नियमानुसार संशोधित कर दिये गये हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री प्रवीण थपलियाल, संगम विहार, मंगसू चौरास, टिहरी गढवाल।

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–767 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 30 / 10 / 2025

वाद संख्या–171 / 2025

श्री निर्मल रावत, पुत्र श्री मातबर सिह रावत
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री निर्मल रावत, पुत्र श्री मातबर सिह रावत, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 23.07.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि My Sc No. is SN62201469747 and the meter No. is 5733925 and Account No. 42200845212! My Present bill with issue Date 06.06.2025 Amounting to Rs. 23,325/- Is very excessive, specially when the connection is presently not in use for the last six months. Previous bill with issue date 15.05.2025 was filled for Rs.86/- which was paid and it contained no arrears. Request Kindly remove the anomaly and rectify the bill in the above circumstances urjent action please. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 656, दिनांक 23.07.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 665, दिनांक 18.08.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

30/10/25 30/10/25

विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा पहले अनुस्माकर पत्र का जवाब नहीं दिया गया जिसके पश्चात् उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 702, दिनांक 18.09.2025 के द्वारा दूसरा अनुस्मारक पत्र जारी किया गया। विद्युत वितरण खण्ड द्वारा दोनो अनुस्मारक पत्रो का उत्तर नहीं दिया गया जिसके उपरान्त मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक सं0–740, दिनांक 10.10.2025 के उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 नियत की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4004, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के संयोजन पर स्मार्ट मीटर लगाते समय त्रुटिवश KWH रीडिंग के स्थान पर KVAH की रीडिंग डाल दी गई थी। जिस कारण उपभोक्ता का बिल अत्यधिक रीडिंग पर बन गया था। जिसे संशोधित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी श्री निर्मल रावत उपस्थित नहीं हुये। वादी का मापक 21.05.2025 को अन्तिम रीडिंग 12963 पर स्मार्ट मीटर से बदला गया था। मीटर सिस्टम में चढाते समय त्रुटिवश पुराने मापक की KWH के स्थान पर KVAH डाल दी गई थी जिस कारण गलत बिल निर्गत हो गया जिसको कि विपक्षी द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार सही कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

30/10/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

30/10/25

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।
02. श्री निर्मल रावत, पुत्र श्री मातबर सिह रावत, श्रीकोट गंगानाली।

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)